राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प. क. विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
राजस्थान, जयपुर।
फोन नं0 0141–2221812, ई–मेल:– pcpndt-rj@nic.in

क्रमांक : रा0पी0प्र0 / राज्य सम. / SSB Meeting / 2022 / 792 दिनांक : 11/11/2022

बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 21.10.2022 को प्रातः 11 बजे राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड पीसीपीएनडीटी की वीडियो कॉन्फ्रेंस / बैठक पदेन अध्यक्ष एवं माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार की उपस्थिति में आरएचएसडीपी हॉल, स्वास्थ्य भवन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्य राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड व अन्य सम्बन्धित आमंत्रित सदस्यों ने भाग लिया।

अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं मिशन निदेशक (एनएचएम) महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया तथा बैठक के एजेण्डा बिन्दु का संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, तत्पश्चात् परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) ने पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 के राजस्थान राज्य में क्रियान्वयन बाबत् किये जा रहे कार्यो एवं प्रयासों के संबंध में माननीय सदस्यों को संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। निर्देशानुसार बैठक में एजेण्डा बिन्दुओं पर बिन्दुवार चर्चा कर सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिये गये:–

1. राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की पूर्व बैठक दिनांक 24.05.2022 में लिये गये निर्णयों पर परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।
2. माननीय अध्यक्ष महोदय ने राज्य में स्थित सभी सोनोग्राफी संस्थानों का प्रत्येक 90 दिन में अनिवार्य रुप से एक बार निरीक्षण किये जाने तथा राज्य स्तर से विशेष निरीक्षण दल गठित किये जाकर भी सोनोग्राफी संस्थानों के औचक निरीक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये। माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि वर्ष 2022 की अंतिम तिमाही में सम्बन्धित उपखण्ड समुचित प्राधिकारी(पीसीपीएनडीटी) द्वारा अपने क्षेत्र में पंजीकृत सभी सोनोग्राफी संस्थानों का एक बार निरीक्षण आवश्यक रुप से कर लिया जावे।
3. माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि भ्रूण लिंग परीक्षण में लिप्त व्यक्तियों को डिकॉय कार्यवाही के माध्यम से गिरफ्तार करने के अधिक से अधिक प्रयास किये जायें। इस सम्बन्ध में आवश्यक रुप से प्रतिमाह 02 सफल डिकॉय कार्यवाही किये जाने के प्रयास किये जावे। मुखबिर योजना का भी समुचित रुप से प्रचार प्रसार किया जावे जिससे कि मुखबिर तन्त्र को अधिक विकसित व सशक्त किया जा सके।
4. माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश प्रदान किये गये कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम,1994 के प्रभावी क्रियान्वयन कर भ्रूण लिंग परीक्षण रोकने एवं इस घृणित कार्य में लिप्त लोगों को पकड़ने बाबत् मुखबिर योजना का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक किया जावे। सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर इस बाबत् पर्याप्त आईईसी की जावे। नुक्कड़ नाटक, रैली,

माईकिंग आदि अन्य कार्यक्रम आयोजित कर आमजन को अधिक से अधिक रुप में शामिल कर भ्रूण लिंग परीक्षण रोकने के प्रयास किये जावें।

5. माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेशक(जन स्वा.) को यह निर्देश प्रदान किये गये कि राज्य में आमजन को समुचित रुप से चिकित्सकीय उपलब्धता की महती आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में राज्य के राजकीय संस्थानों पर सोनोग्राफी कार्य के करने के लिये योग्यता रखने वाले चिकित्सकों को सोनोग्राफी कार्य में लगाया जावे। इस हेतु यदि किसी संस्थान की सोनोग्राफी मशीन चिकित्सक की कमी की वजह से अक्रियाशील है एवं अन्य किसी राजकीय संस्थान पर सोनोग्राफी मशीन न होते हुए भी सोनोग्राफी करने हेतु योग्यताधारी चिकित्सक पदस्थापित है तो ऐसी स्थिति में ऐसे चिकित्सकों को अक्रियाशील सोनोग्राफी मशीन वाले राजकीय संस्थानों पर पदस्थापित कर सोनोग्राफी कार्य करने की अनुमति प्राप्त की जाकर सोनोग्राफी कार्य सुचारु रुप से संचालित कराया जाना सुनिश्चित करावें।

- बैठक का समापन शासन सचिव एवं पदेन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड के सभी प्रतिभागी सदस्यों को धन्यवाद के साथ किया गया।
- आगामी बैठक अधिनियमानुसार आगामी चार माह के अन्तर्गत आयोजित की जायेगी।

11.11.2022

अतिरिक्त निदेशक (प0क0) एवं
सदस्य सचिव,
राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड(पीसीपीएनडीटी),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ पालनार्थ प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमती निर्मला सहरिया, माननीय विधायक, गांव परानियां तहसील किशनगंज जिला बारां, एन–39, गांधी नगर, जयपुर राजस्थान (nirmlasahariya88@gmail.com)
4. श्रीमती मन्जू देवी, माननीय विधायक, इण्डियन पब्लिक स्कूल के पीछे, बाईपास रोड, जायल, जिला नागौर, राजस्थान (omprakash941336@gmail.com)
5. श्रीमती इन्द्रा मीणा, माननीय विधायक, इन्द्रा कॉलोनी, गुप्तेश्वर रोड़, तह. बौली, जिला सवाईमाधोपुर– 322023(indrameenamla@gmail.com)
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर। (Email :- ph-sje@rajasthan.gov.in)
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर। (Email :- secretarylaw.rajasthan@rediffmail.com)
8. निजी सचिव शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर। (Email:- adc.wcd@rajasthan.gov.in) (Email:- director.wcd@rajasthan.gov.in)
9. निजी सचिव, शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर। (Email:- dir.ayu@rajasthan.gov.in) (Email:- addldir.ayu@rajasthan.gov.in)
10. निजी सहायक, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।

11. निजी सहायक, अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी(पीसीपीएनडीटी) एवं मिशन निदेशक(एनएचएम), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. निजी सहायक, ज़िला समुचित प्राधिकारी(पीसीपीएनडीटी) एवं जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
13. श्री बी.एस. नन्दवाना, सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं उप सचिव, विधि (वादकरण) विधि विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
14. श्रीमती पूजा छाबड़ा, सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं महिला कार्यकर्ता, ई 54 गोविन्दपुरी, रामनगर,सोड़ाला, जयपुर।
15. रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल कॉन्सिल, बाईस गोदाम, राजस्थान, जयपुर। (Email:- rajmedcouncil@yahoo.co.in)
16. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
17. निजी सहायक, निदेशक(आरसीएच) एवं निदेशक(परिवार कल्याण) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
18. निजी सहायक, निदेशक (SIHFW), राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, राजस्थान जयपुर।
19. अतिरिक्त निदेशक (परिवार कल्याण) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
20. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, समस्त जोन राजस्थान।
21. जिला नोडल अधिकारी(पीसीपीएनडीटी) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त राजस्थान को पालनार्थ।
22. उपखण्ड समुचित प्राधिकारी(पीसीपीएनडीटी), समस्त उपखण्ड राजस्थान।
23. डॉ0 एस.एल. शर्मा, सामाजिक विज्ञानी, सामाजिक विज्ञान विभाग, ई- 3, राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान, जयपुर(Email :- drsls14@hotmail.com)
24. श्री एस.पी. दाधीच, विधि विशेषज्ञ, राजस्थान जयपुर।
25. डॉ. पायल भारद्वाज, महिला कार्यकर्ता, राजस्थान जयपुर। पता:— 7/58, एनईबी हाउसिंग बोर्ड जिला अलवर, राजस्थान। (Email:-dr.payalbhardwaj@gmail.com)
26. मंजू शर्मा, महिला कार्यकर्ता, 396, उद्योग नगर सिकारु रोड, झोटवाडा, राजस्थान जयपुर (Email :- manjusharma3041@gmail.com)
27. अंजू शर्मा, वरिष्ठ आचार्य गायनी एवं महिला रोग विशेषज्ञ, मैक्सवेल हॉस्पिटल झोटवाडा रोड दूध मण्डी चौराहा, राजस्थान जयपुर (Email :- apmat87@gmail.com)
28. डॉ. इन्दू गौतम, सहायक आचार्य गायनी एवं महिला रोग विशेषज्ञ, जनाना हॉस्पिटल, राजस्थान जयपुर (Email :- indug75@gmail.com, mrc.jaipur@hotmail.com)
29. डॉ. विवेक शर्मा, शिशु रोग विशेषज्ञ, राजस्थान जयपुर। पता:— 1/1291, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। (Email :- dr.vivek_sharma@rediffmail.com)
30. डॉ. एम. एल. गुप्ता, आनुवांशिकी विज्ञानी, जे. के. लोन हॉस्पिटल, राजस्थान जयपुर ((Email :- drmlguptajpr@yahoo.com, pediatricemedicinesms@gmail.com)
31. डॉ. राजीव आहूजा, रेडियोलॉजिस्ट, 37 लक्ष्मण पथ श्याम नगर, सोडाला, राजस्थान जयपुर (Email :- drrajivahuja@rediffmail.com)
32. डॉ. मनोज कुमार जैन, सोनोलॉजिस्ट, राजस्थान जयपुर।
33. परियोजना निदेशक(पीसीपीएनडीटी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
34. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पीसीपीएनडीटी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
35. सहायक निदेशक अभियोजन (पीसीपीएनडीटी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
36. श्री गौरिश वशिष्ठ, वैज्ञानिक—सी एनआईसी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
37. स्टेट डेमोग्राफर एवं मुल्यांकन अधिकारी, डेमोग्राफर सेल, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर।
38. प्रभारी पीबीआई/प्रभारी अपराध शाखा/राज्य समन्वयक/विधि विशेषज्ञ/स्वास्थ्य प्रबंधक/एसएम एण्ड ईओ एवं सलाहकार आईईसी/ सलाहकार विधि (एनएचएम), मुख्यालय जयपुर।

39. जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, समस्त राजस्थान को पालनार्थ भेजकर लेख है कि अनुपालना रिपोर्ट अविलम्ब राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

40. प्रभारी, सेन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित को अविलम्ब प्रेषित करें और विभागीय वेबसाईट के पीसीपीएनडीटी से सम्बन्धित वेबपेज के कॉलम सं. 18 पर अपलोड करें।

41. संबंधित रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।